प्रेस विज्ञप्ति

सैक्टर-31,62 एव 110 में नौएडा क्षेत्र के रेहडी पटरी पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्लेट फार्म योजना 2004-05 के माध्यम से फल, फूल, मनियारी, नाई, कपड़ा ,मसाले, अखबार,मीट, मूर्गा, मछली आदि का व्यवसाय करने वाले अर्ह व्यक्तियों को पाँच वर्ष के अनुज्ञा के आधार पर निम्नानुसार अनुज्ञा पर प्लेट फार्मो का निम्न सैक्टरों में आवंटन किया गया था।

1. सैक्टर-31 में 104 प्लेट फार्म
2. सैक्टर-62 में 468 प्लेट फार्म
3. सैक्टर-110 में 226 प्लेट फार्म

कुल योग= **798 प्लेट फार्म**

उल्लिखित सैक्टरों के अनुज्ञाधारियों को नौएडा प्राधिकरण बोर्ड की 194वीं बैठक दिनांक 26.04.2018 को देय किराये के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 15.10.2018 तक समस्त देय किराया रू0 372.60 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से (जन सुविधाओं व रख-रखाव शुल्क सहित) 50% जमा करने का समय दिनांक 15.10.2018 तक का दिया गया। पुनः संयुक्त वैलफेयर एसोशिएसन के मांग पर दिनांक 15.11.2018 तक का समय 50% देय धनराशि का भुगतान हेतु विस्तारित कर दिया गया। शेष 50% को तीन तिमाही किस्तों में अर्थात प्रथम किस्त दिनांक 15.01.2019 तक द्वितीय किस्त 15.04.2019 तक तृतीय किस्त 15.07.2019 तक जमा करने की सुविधा दी गई उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने हेतु समस्त अनुज्ञाधारियों को डिमांड नोटिस भेजे गये तथा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व इण्डियन एक्सप्रेस में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने का प्रकाशन कराया गया । **आंवटियों पर लगभग 119 करोड़ बकाया है।**

उक्त उल्लेखित सुविधा के परिपेक्ष्य में मात्र 4-5 व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा देय धनराशि का भुगतान न करने के फलस्वरूप पुनः डिमांड नोटिस भेजे गये है। जो बहुतायत में तामिल हुए वगैर वापिस प्राप्त हो गये है। इसलिए दिनांक 10.02.2020 तक देय किराया भुगतान करने अन्यथा आर0सी के माध्यम से वसूली सुनिश्चित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति भी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला में भी प्रकाशित करा दी गई है। जिसमें यह भी उल्लिखित किया गया है कि जिन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुए है उन्हें नौएडा प्राधिकरण के लेखा/सामान्य प्रशासन विभाग से देय धनराशि की जानकारी प्राप्त कर दिनांक 10.02.2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि 10 फरवरी 2020 तक देय राशि का भुगतान न करने वाले अनुज्ञाधारियों का आंवटन निरस्त कर बकाया धनराशि वसूली की कार्यवाही की जाये।

Scanned by CamScanner